

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 30, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. एफ.-1-13-2010-अड़तीस-3.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

No.-F-1-13-2010-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya Adhinyam, 2011 (No. 34 of 2011), the State Government, hereby, appoints the 21st day of December, 2011 as the date on which the said act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.